भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Appointment of Officers on Deputation from eligible officers working in PSU Insurance Companies and Financial Sector Regulators

Ref: HR/Deputation/Sept./2019 **Date: 13.09.2019**

1. Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) is a statutory body formed under an Act of the Parliament.

2. The Authority proposes to fill up the following vacancies as Officers on Special Duty (OSD) through deputation of Officers from PSU Insurance companies and Financial Sector Regulators.

3. The details of the vacancies are given below:

S. No	Details			Manager in Grade B	Assistant General Manager in Grade C	Deputy General Manager in Grade D
1	SCALE OF PAY (in Rs.)			35150-1750(9)-50900-EB-1750(2)-54400-2000(4)-62400 (16 years)	49000-1750(3)-54250-1900(2)-58050-2000(4)-66050-EB-2000(2)70050-2150(1)-72200 (13 years)	68500-2150(2)-72800-2250(6)-86300 (9 years)
2	SKILL STREAM	Actuarial	NO. OF VACANCIES	1	1	-
		Accounts		2	-	-
		General		3	3	-
		General- Estates		1	-	-
		IT		-	1	-
		Legal		-	1	1
		Life		6	1	3
		Non-Life		9	3	2
	TOTAL NO. OF VACANCIES			22	10	6
3	AGE	Maximum age not to exceed		55	55	55

The eligible Officers may submit their applications in the prescribed format through proper channel only, i.e., through their cadre controlling authority so as to reach the undersigned on or before **5 pm on 4th October, 2019.**

Executive Director (Gen)
Insurance Regulatory and Development Authority of India
Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500 032, Telangana.

4. Details of eligibility and other conditions are to be fulfilled as on the last date of receipt of applications, i.e., 4th **October, 2019.**

5. Eligibility Conditions:

5.1. Eligibility conditions for the post of Deputy General Manager – Legal:

a) Minimum academic qualifications: LL.B from a recognized university.

b) Level of Officers eligible:

(i) PSU Insurance companies

- Scale V Officers, or
- Scale IV Officers with minimum 5 years of service in that scale.

(ii) Financial Sector Regulators

- Officers in Grade D and in the pay scale equivalent to 68500 - 2150 (2) - 72800 – 2250 (6) - 86300 with associated grade allowance.

c) Experience: 15 years as an Officer in PSU Insurance company/ies and/or Financial Sector Regulators with minimum 5 years in related field of work.

d) Preference will be given to officers directly handling legal matters including HR or Service matters.

5.2. Eligibility conditions for the post of Deputy General Manager – Life:

a) Minimum academic qualifications: Graduation from a recognized university.

b) Level of Officers eligible:

(i) Life Insurance Corporation of India

- Scale V Officers, or
- Scale IV Officers with minimum 5 years of service in that scale.

c) Experience: 15 years as an Officer in LIC of India with minimum 5 years in related field of work.

5.3. Eligibility conditions for the post of Deputy General Manager – Non Life:

a) Minimum academic qualifications: Graduation from a recognized university.

b) Level of Officers eligible:

(i) General Insurance Corporation of India

(ii) National Insurance Co. Ltd

(iii) New India Assurance Co. Ltd

(iv) Oriental Insurance Co. Ltd

(v) United India Insurance Co. Ltd

(vi) Agriculture Insurance Co. of India Ltd

(vii) Export Credit Guarantee Corporation of India

- Scale V Officers, or
- Scale IV Officers with minimum 5 years of service in that scale.

c) Experience: 15 years as an Officer in Insurance company/ies mentioned in para 5.3. (b) above with minimum 5 years in related field of work.

5.4. Eligibility conditions for the post of Assistant General Manager – Actuarial:

a) Minimum academic qualifications: Graduation from a recognized university and Fellow of the Institute of Actuaries of India (IAI).

b) Level of Officers eligible:

(i) PSU Insurance companies

- Scale IV Officers, or
- Scale III Officers with minimum 5 years of service in that scale.

c) Experience: 12 years as an Officer in PSU Insurance company/ies with minimum 5 years in related field of work.

5.5. Eligibility conditions for the post of Assistant General Manager – General:

a) Minimum academic qualifications: Graduation from a recognized university.

b) Level of Officers eligible:

(i) PSU Insurance companies

- Scale IV Officers, or
- Scale III Officers with minimum 5 years of service in that scale.

(ii) Financial Sector Regulators

- Officers in Grade C and in the pay scale equivalent to 49000-1750(3)-54250-1900(2)-58050-2000(4)-66050-EB 2000(2)-70050-2150(1)-72200 (13 years) with associated grade allowance.

c) Experience: 12 years as an Officer in PSU Insurance company/ies and/or Financial Sector Regulators with minimum 5 years in related field of work.

d) These posts are earmarked for HR, Corporate Services, Sectoral Development (Research & Development) and Communication Departments. Related field of work includes experience of working in these departments. Preference would be given to Officers having qualification and experience in Research and

Development activities, collection of information and analysis enabling policy making, coordination of Board Meetings and Board Secretarial related work, Consumer Awareness in the field of Financial Education.

5.6. Eligibility conditions for the post of Assistant General Manager – IT:

a) Minimum academic qualifications: B.Tech (IT/CSE) or MCA or M.Tech or M.S. in IT from a recognized university.

b) Level of Officers eligible:

(i) PSU Insurance companies

- Scale IV Officers, or
- Scale III Officers with minimum 5 years of service in that scale.

(ii) Financial Sector Regulators

- Officers in Grade C and in the pay scale equivalent to 49000-1750(3)-54250-1900(2)-58050-2000(4)-66050-EB 2000(2)-70050-2150(1)-72200 (13 years) with associated grade allowance.

c) Experience: 12 years as an Officer in PSU Insurance company/ies and/or Financial Sector Regulators with minimum 5 years in related field of work.

5.7. Eligibility conditions for the post of Assistant General Manager – Legal:

a) Minimum academic qualifications: LL.B from a recognized university.

b) Level of Officers eligible:

(i) PSU Insurance companies

- Scale IV Officers, or
- Scale III Officers with minimum 5 years of service in that scale.

(ii) Financial Sector Regulators

- Officers in Grade C and in the pay scale equivalent to 49000-1750(3)-54250-1900(2)-58050-2000(4)-66050-EB 2000(2)-70050-2150(1)-72200 (13 years) with associated grade allowance.

c) Experience: 12 years as an Officer in PSU Insurance company/ies and/or Financial Sector Regulators with minimum 5 years in related field of work.

5.8. Eligibility conditions for the post of Assistant General Manager – Life:

a) Minimum academic qualifications: Graduation from a recognized university.

b) Level of Officers eligible:

(i) Life Insurance Corporation of India

- Scale IV officers, or
- Scale III officers with minimum five years of service in that scale.

c) Experience: 12 years as an Officer in LIC of India with minimum 5 years in related field of work.

5.9. Eligibility conditions for the post of Assistant General Manager– Non Life:

a) Minimum academic qualifications: Graduation from a recognized university.

b) Level of Officers eligible:

(i) General Insurance Corporation of India
(ii) National Insurance Co. Ltd
(iii) New India Assurance Co. Ltd
(iv) Oriental Insurance Co. Ltd.
(v) United India Insurance Co. Ltd
(vi) Agriculture Insurance Co. of India Ltd
(vii) Export Credit Guarantee Corporation of India

- Scale IV Officers, or
- Scale III Officers with minimum 5 years of service in that scale.

c) Experience: 12 years as an Officer in Insurance company/ies mentioned in para 5.9. (b) above with minimum 5 years in related field of work.

5.10. Eligibility conditions for the post of Manager – Actuarial:

a) Minimum academic qualifications: Graduation from a recognized university and Pass in twelve (12) papers of the Institute of Actuaries of India (IAI).

b) Level of Officers eligible:

(i) PSU Insurance companies

- Scale III Officers, or
- Scale II Officers with minimum 5 years of service in that scale.

c) Experience: 8 years as an Officer in PSU Insurance company/ies with minimum 5 years in related field of work.

5.11. Eligibility conditions for the post of Manager – Accounts:

a) Minimum academic qualifications: Graduation from a recognized university and ACA/AICWA/ACS/CFA.

b) Level of Officers eligible:

(i) PSU Insurance companies

- Scale III Officers, or
- Scale II Officers with minimum 5 years of service in that scale.

(ii) Financial Sector Regulators

- Officers in Grade B and in the pay scale equivalent to 35150-1750(9)-50900-EB-1750(2)-54400-2000(4)-62400 (16 years) with associated grade allowance.

c) Experience: 8 years as an Officer in PSU Insurance company/ies and/or Financial Sector Regulators with minimum 5 years in related field of work.

5.12. Eligibility conditions for the post of Manager – General:

a) Minimum academic qualifications: Graduation from a recognized university.

b) Level of Officers eligible:

(i) PSU Insurance companies

- Scale III Officers, or
- Scale II Officers with minimum 5 years of service in that scale.

(ii) Financial Sector Regulators

- Officers in Grade B and in the pay scale equivalent to 35150-1750(9)-50900-EB-1750(2)-54400-2000(4)-62400 (16 years) with associated grade allowance.

c) Experience: 8 years as an Officer in PSU Insurance company/ies and/or Financial Sector Regulators with minimum 5 years in related field of work.

d) These posts are earmarked for Sectoral Development (Research & Development) and Consumer Affairs Department. Related field of work includes experience of working in these departments. Preference will be given to Officers having qualifications and work experience in research and development activities, collection of information and analysis enabling policy decision making and handling of consumer grievances.

9/

5.13. Eligibility conditions for the post of Manager – General - Estates:

a) Minimum academic qualifications: Graduation from a recognized university.

b) Level of Officers eligible:

(i) PSU Insurance companies

- Scale III Officers, or
- Scale II Officers with minimum 5 years of service in that scale.

(ii) Financial Sector Regulators

- Officers in Grade B and in the pay scale equivalent to 35150-1750(9)-50900-EB-1750(2)-54400-2000(4)-62400 (16 years) with associated grade allowance.

c) Experience: 8 years as an Officer in PSU Insurance company/ies and/or Financial Sector Regulators with minimum 5 years in related field of work. Qualification and Experience in the given area will be preferred. Related field of work includes, and not restricted to, the following:

- Overall security arrangements and maintenance at the offices and residential premises.
- Planning, analyzing and assisting in providing various security arrangements in the Office buildings, supervising of various electronic systems for security measures such as CCTV, Fire Detection / Protection panels, Fire Fighting systems, Access Control System, Metal detector, Monitoring of Visitors.
- Protocol, logistics and other arrangements for visits / meetings of senior officials.
- Supervising the functioning of mailing desk and reception. Verification of dead stock, inventory register of Offices and residential premises.

5.14. Eligibility conditions for the post of Manager – IT:

a) Minimum academic qualifications: B.Tech (IT/CSE) or MCA or M.Tech or M.S. in IT from a recognized university.

b) Level of Officers eligible:

(i) PSU Insurance companies

- Scale III Officers, or
- Scale II Officers with minimum 5 years of service in that scale.

(ii) Financial Sector Regulators

- Officers in Grade B and in the pay scale equivalent to 35150-1750(9)-50900-EB-1750(2)-54400-2000(4)-62400 (16 years) with associated grade allowance.

c) Experience: 8 years as an Officer in PSU Insurance company/ies and/or Financial Sector Regulators with minimum 5 years in related field of work.

5.15. Eligibility conditions for the post of Manager – Life:

a) Minimum academic qualifications: Graduation from a recognized university.

b) Level of Officers eligible:

(i) Life Insurance Corporation of India

- Scale III Officers, or
- Scale II Officers with minimum 5 years of service in that scale.

c) Experience: 8 years as an Officer in LIC of India with minimum 5 years in related field of work.

5.16. Eligibility conditions for the post of Manager – Non Life:

a) Minimum academic qualifications: Graduation from a recognized university.

b) Level of Officers eligible:

(i) General Insurance Corporation of India

(ii) National Insurance Co. Ltd

(iii) New India Assurance Co. Ltd

(iv) Oriental Insurance Co. Ltd

(v) United India Insurance Co. Ltd

(vi) Agriculture Insurance Co. of India Ltd

(vii) Export Credit Guarantee Corporation of India

- Scale III Officers, or
- Scale II Officers with minimum 5 years of service in that scale.

c) Experience: 8 years as an Officer in Insurance company/ies mentioned in para 5.16. (b) above with minimum 5 years in related field of work.

6. **General conditions:**

6.1. The Officers applying for any of the above posts should be holding an equivalent post given above with similar responsibilities and duties in PSU Insurance Companies and/or Financial Sector Regulators, wherever applicable and as per eligibility given under respective grades.

6.2. Applications shall be made in the **prescribed format only** which is given at **Annexure A** and shall be submitted through **proper channel only** along with copies of Annual Performance Appraisal Reports of the last three years and vigilance clearance and Integrity Certificate before the last date of receipt of applications, ie. **on or before 5 pm on 4th October, 2019.**

6.3. The Cadre Controlling Authority has to forward the applications of the interested Officers whose services can be spared by the Cadre Controlling Authority duly filling up Part II of the application along with attested copies of ACRs/APARs of the Officers for the last three years, i.e. from 2016-17 to 2018-19.

6.4. Applications which are incomplete or not in the prescribed format or not received through proper channel before the last date of receipt of application are liable to be summarily rejected. It is clarified that any form of conditional forwarding from the employer or applications received without certificate of employer as given in Part II of Annexure – A shall be summarily rejected.

6.5. IRDAI does not assume any responsibility for the candidates not being able to submit their applications within the last date on account of or for any reason beyond the control of IRDAI.

6.6. In case of receipt of more than one application from a candidate, IRDAI reserves its right to consider their applications as per the candidate's suitability.

6.7. The following documents, in original, should be shown for verification and self-attested photocopies, in support of the candidate's eligibility and identity are to be invariably submitted at the time of Interview, failing which the candidate may not be permitted to appear for Interview:

Proof of Date of Birth (Birth Certificate issued by the Competent Municipal Authorities or SSLC/ Std. X Certificate with DOB mentioned therein), Photo Identify Proof, academic qualifications (mark sheets of all years/semesters and Degree/PG/Diploma/other certificates), proof of the experience mentioned in the application and any other relevant document in support of eligibility.

6.8. The period of deputation shall not exceed 3 (three) years.

6.9. The officer on deputation shall be governed by the IRDAI Staff (Officers and Other

Employees) Regulations, 2016 as amended from time to time and terms and conditions as laid down by IRDAI.

6.10. An Officer appointed on deputation to IRDAI from other organizations, may elect to draw either the pay in the scale of pay of deputation post or scale of pay in the parent cadre plus deputation allowance thereon plus personal pay, if any, by exercising his option within 30 days from the date of joining IRDAI. In case the employee on deputation fails to submit the option within the aforesaid period, it shall be deemed that the employee has opted for the pay in the scale of pay of deputation post in IRDAI and his pay shall be fixed accordingly.

6.11. When an Officer appointed on deputation to IRDAI from other organizations receives promotion/proforma-promotion or is appointed to non-functional selection grade or up-gradation of scale in the parent cadre, the Officer shall have the option of either continuing with the existing pay and allowances in the ex-cadre post till the end of deputation or seek repatriation to claim the benefits of promotion. The pay fixation and reconsideration of ex-cadre post for a higher ex-cadre post shall not be entertained due to promotion in the parent cadre.

6.12. The officers who served IRDAI on deputation for one term will not be considered for second term.

6.13. The permanent Officers of IRDAI and Officers presently on deputation cannot apply for higher ex-cadre post at IRDAI.

6.14. The Officer on deputation shall not be considered for any foreign deputation and/or deputation to any organization within India.

6.15. The Officer on deputation shall not be eligible for permanent absorption or promotion in IRDAI.

6.16. The Cadre Controlling Authority is required to confirm requisite qualifications/experience for the post mentioned by the applicant in the filled in application form and ensure that he/she fulfils the eligibility criteria for the said post before forwarding his/her application.

6.17. IRDAI reserves the right to either relax or raise any conditions as per administrative exigencies for any skill stream and /or grade.

6.18. IRDAI reserves the right to fill up the vacancies of a given skill stream and/or grade from another skill stream and/or grade in extraordinary circumstances, if adequate number of applications are not received for that skill stream and/or grade.

6.19. IRDAI reserves the right to fill up less number of posts or not to fill up the posts at all.

6.20. Canvassing or bringing any undue influence in any form will disqualify the

candidate.

6.21. Any candidate who knowingly or willfully furnishes incorrect or false particulars or suppressed material information, their candidature will be liable to be cancelled at any stage of the selection. If the candidate qualifies in the selection process and subsequently it is found that he/she does not fulfil the eligibility criteria, his/her candidature will be cancelled and if appointed on deputation, the same would be terminated without any notice or compensation.

6.22. The shortlisted candidates will be called for a personal interface/Interview. IRDAI reserves the right to modify the selection procedure, if deemed fit.

6.23. In all matters regarding eligibility, conduct of interview, assessment, prescribing minimum qualifying standards in Interview in relation to number of vacancies and communication of result and other allied matters, IRDAI's decision shall be final and binding on the candidates and no correspondence or personal enquiries shall be entertained in this regard.

6.24. Outstation candidates called for interview will be reimbursed Economy Class Air fare for the to and fro journey by the shortest route from the place of their workplace, to the place of interview, subject to submission of necessary documentary evidence.

6.25. The selected Officers can be posted or transferred to any of the offices of IRDAI.

6.26. IRDAI reserves the right to cancel the Advertisement fully or partly on any grounds.

6.27. Any legal proceedings in respect of any matter of claim or dispute arising out of this notification and / or an application in response thereto can be instituted only in Hyderabad and courts/ tribunals / forums at Hyderabad only shall have sole and exclusive jurisdiction to try any cause / dispute.

6.28. All correspondence will be made through Email and Speed Post. Therefore, all the candidates are advised to provide correct e-mail address and check their e-mails regularly for any updates from IRDAI.

6.29. **Corrigendum:** Please note that Corrigendum, if any, issued on the above advertisement, will be published only on the IRDAI's website.

(Hindi version of this advertisement is available on Hindi website of IRDAI)

Hyderabad

13.09.2019

Executive Director (Gen)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) बीमा कंपनियों और वित्तीय क्षेत्र की विनियामकर्ता संस्थाओं में कार्यरत पात्र अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की नियुक्ति

संदर्भः एचआर/प्रतिनियुक्ति/सितम्बर/2019 **दिनांकः 13-09-2019**

1. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण संसद के एक अधिनियम के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
2. प्राधिकरण नीचे दिये गये विवरण के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) बीमा कंपनियों और वित्तीय क्षेत्र की विनियामकर्ता संस्थाओं से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के द्वारा विशेष कार्य अधिकारियों (ओएसडी) के रूप में निम्नलिखित रिक्तियाँ भरने का प्रस्ताव करता हैः
3. रिक्तियों का विवरण नीचे दिया गया हैः

क्रम सं.	विवरण			प्रबंधक ग्रेड बी	सहायक महाप्रबंधक ग्रेड सी	उप महाप्रबंधक ग्रेड डी
1	वेतनमान (रुपयों में)			35150-1750(9)-50900-द.रो.-1750(2)-54400-2000(4)-62400(16 वर्ष)	49000-1750(3)-54250-1900(2)-58050-2000(4)-66050-द.रो.-2000(2)-70050-2150(1)-72200 (13 वर्ष)	68500-2150(2)-72800-2250(6)-86300 (9 वर्ष)
2	कौशल धारा	बीमांकिक	रिक्तियों की संख्या	1	1	-
		लेखा		2	-	-
		सामान्य		3	3	-
		सामान्य-संपदा		1	-	-
		सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)		-	1	-
		विधि		-	1	1
		जीवन		6	1	3
		गैर-जीवन		9	3	2
	रिक्तियों की कुल संख्या			22	10	6
3	आयु	आयु की अधिकतम सीमा		55	55	55

पात्र अधिकारी अपने आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में केवल उचित माध्यम से अर्थात् अपने संवर्ग के नियंत्रक प्राधिकारी के जरिये इस प्रकार प्रस्तुत करें कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास **4 अक्टूबर 2019 को शाम 5 बजे तक या उससे पहले पहुँचे।**

कार्यकारी निदेशक (सामान्य)
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
सर्वे सं. 115/1, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगूडा,
हैदराबाद-500 032, तेलंगाना।

4. पात्रता के विवरण और अन्य शर्तों को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख अर्थात् **4 अक्टूबर 2019** की स्थिति के अनुसार पूरा करना होगा।

5. **पात्रता की शर्तें :**

5.1 **उप महाप्रबंधक – विधि के पद के लिए पात्रता की शर्तें :**

क) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एलएल.बी उपाधि।

ख) पात्र अधिकारियों का स्तरः

i) **सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू)** बीमा कंपनियाँ

- वेतन-मान (स्केल) V अधिकारी, अथवा
- वेतन-मान (स्केल) IV अधिकारी उस स्केल में सेवा के न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव से युक्त।

ii) **वित्तीय क्षेत्र विनियामकर्ता संस्थाएँ**

- अधिकारी ग्रेड डी तथा 68500 – 2150 (2) – 72800 – 2250 (6) – 86300 के समकक्ष वेतन-मान में संबद्ध ग्रेड भत्ते के साथ।

ग) अनुभवः संबंधित कार्य-क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष के साथ पीएसयू बीमा कंपनी/ कंपनियों और/या वित्तीय क्षेत्र विनियामकर्ता संस्थाओं में अधिकारी के रूप में 15 वर्ष।

घ) एचआर अथवा सेवा मामलों सहित कानूनी मामलों को सीधे प्रत्यक्ष रूप से संभालनेवाले अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

5.2 **उप महाप्रबंधक – जीवन के पद के लिए पात्रता की शर्तें :**

क) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।

ख) पात्र अधिकारियों का स्तरः

i) **भारतीय जीवन बीमा निगम**

- वेतन-मान (स्केल) V अधिकारी, अथवा
- वेतन-मान IV अधिकारी उस स्केल में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा से युक्त।

ग) अनुभवः भारतीय जीवन बीमा निगम में अधिकारी के रूप में 15 वर्ष, संबंधित कार्य-क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव से युक्त।

5.3 **उप महाप्रबंधक – गैर-जीवन के पद के लिए पात्रता की शर्तें :**

क) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।

ख) पात्र अधिकारियों का स्तरः

(i) भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी)

(ii) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

(iii) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

(iv) ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

(v) युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

(vi) भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड

(vii) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम

- वेतन-मान (स्केल) V अधिकारी, अथवा
- वेतन-मान (स्केल) IV अधिकारी उस स्केल में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा से युक्त।

ग) अनुभवः पैरा 5.3 (ख) में उल्लिखित बीमा कंपनी/कंपनियों में अधिकारी के रूप में 15 वर्ष, संबंधित कार्य-क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव के साथ।

5.4 **सहायक महाप्रबंधक – बीमांकिक के पद के लिए पात्रता की शर्तें :**

क) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि तथा भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) का फेलो।

ख) पात्र अधिकारियों का स्तरः

(i) पीएसयू बीमा कंपनियाँ

- वेतन-मान (स्केल) IV अधिकारी, अथवा
- वेतन-मान (स्केल) III अधिकारी उस स्केल में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा से युक्त।

ग) अनुभवः पीएसयू बीमा कंपनी/कंपनियों में अधिकारी के रूप में 12 वर्ष, संबंधित कार्य-क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव सहित।

5.5 **सहायक महाप्रबंधक – सामान्य के पद के लिए पात्रता की शर्तें :**

क) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।

ख) पात्र अधिकारियों का स्तरः

(i) पीएसयू बीमा कंपनियाँ

- वेतन-मान (स्केल) IV अधिकारी, अथवा
- वेतन-मान (स्केल) III अधिकारी, उस स्केल में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा से युक्त।

(ii) वित्तीय क्षेत्र विनियामकर्ता संस्थाएँ

- ग्रेड सी तथा संबद्ध ग्रेड भत्ते से युक्त 49000 – 1750(3) – 54250 – 1900(2) – 58050 – 2000(4) – 66050 – द.रो. – 2000(2) – 70050 – 2150(1) – 72200 (13 वर्ष) के समकक्ष वेतन-मान में अधिकारी।

ग) अनुभवः संबंधित कार्य-क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष के साथ पीएसयू बीमा कंपनी/ कंपनियों और/या वित्तीय क्षेत्र विनियामकर्ता संस्थाओं में अधिकारी के रूप में 12 वर्ष।

सुमन/219

घ) ये पद एचआर, कारपोरेट सेवाएँ, क्षेत्र-वार (सेक्टोरल) विकास (अनुसंधान और विकास) तथा संचार विभागों के लिए निश्चित किये गये हैं। संबंधित कार्य के क्षेत्र में इन विभागों में कार्य करने का अनुभव शामिल है। अनुसंधान और विकास की गतिविधियों, सूचना के संग्रहण और नीति-निर्धारण को समर्थ बनानेवाले विश्लेषण, बोर्ड बैठकों के समन्वय और बोर्ड सचिवालय से संबंधित कार्य, वित्तीय शिक्षण के क्षेत्र में उपभोक्ता जागरूकता में योग्यता और अनुभव रखनेवाले अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

5.6 **सहायक महाप्रबंधक – सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के पद के लिए पात्रता की शर्तें :**

क) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.टेक. (आईटी/सीएसई) अथवा आईटी में एमसीए अथवा एम.टेक. अथवा एम.एस.।

ख) पात्र अधिकारियों का स्तरः

(iii) पीएसयू बीमा कंपनियाँ

- वेतन-मान (स्केल) IV अधिकारी, अथवा
- वेतन-मान (स्केल) III अधिकारी, उस स्केल में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा से युक्त।

(iv) वित्तीय क्षेत्र विनियामकर्ता संस्थाएँ

- ग्रेड सी तथा संबद्ध ग्रेड भत्ते से युक्त 49000 – 1750(3) – 54250 – 1900(2) – 58050 – 2000(4) – 66050 – द.रो. – 2000(2) – 70050 – 2150(1) – 72200 (13 वर्ष) के समकक्ष वेतन-मान में अधिकारी।

ग) अनुभवः बीमा कंपनी/कंपनियों और/या वित्तीय क्षेत्र विनियामकर्ता संस्थाओं में अधिकारी के रूप में 12 वर्ष, संबंधित कार्य-क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव के साथ।

5.7 **सहायक महाप्रबंधक – विधि के पद के लिए पात्रता की शर्तें :**

क) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एलएल.बी उपाधि।

ख) पात्र अधिकारियों का स्तरः

(i) पीएसयू बीमा कंपनियाँ

- वेतन-मान (स्केल) IV अधिकारी, अथवा
- वेतन-मान (स्केल) III अधिकारी, उस स्केल में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा से युक्त।

(ii) वित्तीय क्षेत्र विनियामकर्ता संस्थाएँ

- ग्रेड सी तथा संबद्ध ग्रेड भत्ते के साथ 49000 – 1750(3) – 54250 – 1900(2) – 58050 – 2000(4) – 66050 – द.रो. -2000(2) – 70050 – 2150(1) – 72200 (13 वर्ष) के समकक्ष वेतन-मान में अधिकारी।

ग) अनुभवः पीएसयू बीमा कंपनी/कंपनियों और/या वित्तीय क्षेत्र विनियामकर्ता संस्थाओं में 12 वर्ष, संबंधित कार्य-क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव से युक्त।

5.8 **सहायक महाप्रबंधक – जीवन के पद के लिए पात्रता की शर्तें :**

क) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।

पृ. 5/214

ख) पात्र अधिकारियों का स्तरः

- **(i) भारतीय जीवन बीमा निगम**
  - वेतन-मान (स्केल) IV अधिकारी, अथवा
  - वेतन-मान (स्केल) III अधिकारी उस स्केल में न्यूनतम पाँच वर्ष की सेवा से युक्त।

ग) अनुभवः भारतीय जीवन बीमा निगम में अधिकारी के रूप में 12 वर्ष, संबंधित कार्य-क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव के साथ।

5.9 सहायक महाप्रबंधक – गैर-जीवन के पद के लिए पात्रता की शर्तें :

क) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।

ख) पात्र अधिकारियों का स्तरः

- **(i) भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी)**
- **(ii) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**
- **(iii) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**
- **(iv) ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**
- **(v) युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**
- **(vi) भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड**
- **(vii) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम**
  - वेतन-मान (स्केल) IV अधिकारी, अथवा
  - वेतन-मान (स्केल) III अधिकारी उस स्केल में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा से युक्त।

ग) अनुभवः पैरा 5.9 (ख) में उल्लिखित बीमा कंपनी/कंपनियों में अधिकारी के रूप में 12 वर्ष, संबंधित कार्य-क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा सहित।

5.10 प्रबंधक – बीमांकिक के पद के लिए पात्रता की शर्तें :

क) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि तथा बीमांकक संस्थान (आईएआई) के बारह (12) प्रश्नपत्रों में उत्तीर्णता।

ख) पात्र अधिकारियों का स्तरः

- **(i) पीएसयू बीमा कंपनियाँ**
  - वेतन-मान (स्केल) III अधिकारी, अथवा
  - वेतन-मान (स्केल) II अधिकारी उस स्केल में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा से युक्त।

ग) अनुभवः पीएसयू बीमा कंपनी/कंपनियों में अधिकारी के रूप में 8 वर्ष, संबंधित कार्य-क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा से युक्त।

5.11 प्रबंधक – लेखा के पद के लिए पात्रता की शर्तें :

क) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि तथा एसीए/ एआईसीडब्ल्यूए/एसीएस/सीएफए

ख) पात्र अधिकारियों का स्तरः

(i) पीएसयू बीमा कंपनियाँ

- वेतन-मान (स्केल) ।।। अधिकारी, अथवा
- वेतन-मान (स्केल) ।। अधिकारी उस स्केल में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा से युक्त।

(ii) वित्तीय क्षेत्र विनियामकर्ता संस्थाएँ

- ग्रेड बी तथा संबद्ध ग्रेड भत्ते से युक्त 35150 – 1750(9) – 50900 – द.रो. – 1750(2) – 54400 – 2000(4) – 62400 (16 वर्ष) के समकक्ष वेतन-मान में अधिकारी।

ग) अनुभवः पीएसयू बीमा कंपनी/कंपनियों और/या वित्तीय क्षेत्र विनियामकर्ता संस्थाओँ में अधिकारी के रूप में 8 वर्ष, संबंधित कार्य-क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा सहित।

5.12 **प्रबंधक – सामान्य के पद के लिए पात्रता की शर्तें :**

क) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।

ख) पात्र अधिकारियों का स्तरः

(iii) पीएसयू बीमा कंपनियाँ

- वेतन-मान (स्केल) ।।। अधिकारी, अथवा
- वेतन-मान (स्केल) ।। अधिकारी उस स्केल में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा से युक्त।

(iv) वित्तीय क्षेत्र विनियामकर्ता संस्थाएँ

- ग्रेड बी तथा संबद्ध ग्रेड भत्ते से युक्त 35150 – 1750(9) – 50900 – द.रो. – 1750(2) – 54400 – 2000(4) – 62400 (16 वर्ष) के समकक्ष वेतन-मान में अधिकारी।

ग) अनुभवः संबंधित कार्य-क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष के साथ पीएसयू बीमा कंपनी/ कंपनियों और/या वित्तीय क्षेत्र विनियामकर्ता संस्थाओं में अधिकारी के रूप में 8 वर्ष।

घ) ये पद क्षेत्र-वार (सेक्टोरल) विकास विभाग (अनुसंधान और विकास) तथा उपभोक्ता कार्य विभागों के लिए निश्चित हैं। संबंधित कार्य-क्षेत्र में इन विभागों में कार्य करने का अनुभव शामिल है। उन अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी जो अनुसंधान और विकास की गतिविधियों, सूचना के संग्रहण और नीतिगत निर्णयन को समर्थ बनानेवाले विश्लेषण तथा उपभोक्ता शिकायतों को संभालने में योग्यताएं और कार्य का अनुभव रखते हैं।

5.13 **प्रबंधक – सामान्य – संपदा के पद के लिए पात्रता की शर्तें :**

क) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।

ख) पात्र अधिकारियों का स्तरः

(i) पीएसयू बीमा कंपनियाँ

- वेतन-मान (स्केल) ।।। अधिकारी, अथवा
- वेतन-मान (स्केल) ।। अधिकारी उस स्केल में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा से युक्त।

(ii) वित्तीय क्षेत्र विनियामकर्ता संस्थाएँ

- ग्रेड बी तथा संबद्ध ग्रेड भत्ते से युक्त 35150 – 1750(9) – 50900 – द.रो. – 1750(2) – 54400 – 2000(4) – 62400 (16 वर्ष) के समकक्ष वेतन-मान में अधिकारी।

ग) अनुभवः संबंधित कार्य-क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष के साथ पीएसयू बीमा कंपनी/ कंपनियों और/या वित्तीय क्षेत्र विनियामकर्ता संस्थाओं में अधिकारी के रूप में 8 वर्ष। निर्दिष्ट क्षेत्र में योग्यता और अनुभव को वरीयता दी जाएगी। संबंधित कार्य-क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- समग्र सुरक्षा व्यवस्थाएँ तथा कार्यालयों और आवासीय परिसरों में रखरखाव।
- कार्यालय भवनों में विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाओं में आयोजना, विश्लेषण और सहायता प्रदान करना, सुरक्षा उपायों के लिए विभिन्न इलेक्ट्रानिक प्रणालियों का पर्यवेक्षण करना जैसे सीसीटीवी, अग्नि की पहचान/ सुरक्षा पैनल, अग्नि-शमन प्रणालियाँ, प्रवेश नियंत्रण प्रणाली, मेटल डिटेक्टर, आगंतुकों की निगरानी।
- वरिष्ठ अधिकारियों के दौरा (विजिटों) / बैठकों के लिए प्रोटोकाल, लाजिस्टिक्स और अन्य व्यवस्थाएँ।
- डाक प्रेषण डेस्क और स्वागत कक्ष की कार्यपद्धति का पर्यवेक्षण। कार्यालयों और आवासीय परिसरों के डेड-स्टाक और इन्वेंटरी रजिस्टर का सत्यापन।

5.14 **प्रबंधक - सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के पद के लिए पात्रता की शर्तें:**

क) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.टेक (आईटी/सीएसई) अथवा आईटी में एमसीए अथवा एम.टेक अथवा एम.एस.।

ख) पात्र अधिकारियों का स्तरः

(i) पीएसयू बीमा कंपनियाँ

- वेतन-मान (स्केल) ।।। अधिकारी, अथवा
- वेतन-मान (स्केल) ।। अधिकारी उस स्केल में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा सहित।

(ii) वित्तीय क्षेत्र विनियामकर्ता संस्थाएँ

- ग्रेड बी तथा संबद्ध ग्रेड भत्ते के साथ 35150 – 1750 (9) – 50900 – द.रो. – 1750(2) – 54400 – 2000(4) – 62400 (16 वर्ष) के समकक्ष वेतन-मान में अधिकारी।

ग) अनुभवः पीएसयू बीमा कंपनी/कंपनियों और/या वित्तीय क्षेत्र विनियामकर्ता संस्थाओं में अधिकारी के रूप में 8 वर्ष, संबंधित कार्य-क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा सहित।

5.15 **प्रबंधक – जीवन के पद के लिए पात्रता की शर्तें :**

क) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।

ख) पात्र अधिकारियों का स्तरः

(i) **भारतीय जीवन बीमा निगम**

- वेतन-मान (स्केल) ।।। अधिकारी, अथवा
- वेतन-मान (स्केल) ।। अधिकारी, उस स्केल में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा से युक्त।

ग) अनुभवः भारतीय जीवन बीमा निगम में अधिकारी के रूप में 8 वर्ष, संबंधित कार्य-क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा सहित।

5.16 **प्रबंधक – गैर-जीवन के पद के लिए पात्रता की शर्तें :**

क) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।

ख) पात्र अधिकारियों का स्तरः

(i) भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी)
(ii) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
(iii) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
(iv) ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
(v) युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
(vi) भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड
(vii) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम

- वेतन-मान (स्केल) III अधिकारी, अथवा
- वेतन-मान (स्केल) II अधिकारी, उस स्केल में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा सहित।

ग) अनुभवः पैरा 5.16 (ख) में उल्लिखित बीमा कंपनी/कंपनियों में अधिकारी के रूप में 8 वर्ष, संबंधित कार्य-क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष सहित।

6. **सामान्य शर्तें:**

6.1 उपर्युक्त किसी भी पद के लिए आवेदन करनेवाले अधिकारियों को चाहिए कि वे जहाँ भी लागू है वहाँ संबंधित ग्रेडों के अंतर्गत दी गई पात्रता के अनुसार पीएसयू बीमा कंपनियों और/या वित्तीय क्षेत्र विनियामकर्ता संस्थाओं में ऊपर दिये गये पद के समकक्ष पद धारित करते हों तथा उसी प्रकार के दायित्व और कर्तव्य रखते हों।

6.2 आवेदन **केवल निर्धारित फार्मेट में ही** प्रस्तुत किये जाने चाहिए जो **अनुबंध ए** में दिया गया है तथा पिछले तीन वर्षों की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रतियों एवं सतर्कता संबंधी अनापत्ति और सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र की प्रतियों के साथ आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख अर्थात् **4 अक्टूबर 2019 को 5 बजे तक अथवा उससे पहले** प्रस्तुत किये जाएँगे।

6.3 संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी को इच्छुक अधिकारियों के आवेदन जिनकी सेवाएँ संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती हैं, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2016-17 से 2018-19 तक के लिए उक्त अधिकारियों की एसीआर/एपीएआर की साक्ष्यांकित प्रतियों के साथ आवेदन का भाग II विधिवत् भरकर प्रेषित करने चाहिए।

6.4 आवेदन जो अधूरे होंगे अथवा निर्धारित फार्मेट में नहीं होंगे अथवा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से पहले उचिम माध्यम से प्राप्त नहीं किये जाएँगे, सुस्पष्ट रूप से अस्वीकार किये जा सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी रूप में नियोक्ता से किसी भी शर्त के साथ प्रेषित किये गये आवेदन अथवा अनुबंध-ए के भाग II में नियोक्ता के प्रमाणपत्र के बिना प्राप्त आवेदन सुस्पष्ट रूप से अस्वीकार किये जाएँगे।

6.5 जो उम्मीदवार आईआरडीएआई के नियंत्रण से बाहर के किसी भी कारण से अंतिम तारीख के अंदर अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, उनके संबंध में आईआरडीएआई कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करता।

6.6 उम्मीदवार से एक से अधिक आवेदन प्राप्त किये जाने की स्थिति में आईआरडीएआई के पास उम्मीदवार की उपयुक्तता के अनुसार उनके आवेदनों पर विचार करने का अधिकार सुरक्षित है।

6.7 साक्षात्कार (इंटरव्यू) के समय निम्नलिखित दस्तावेज मूल रूप में सत्यापन के लिए दिखाने चाहिए तथा उम्मीदवार की पात्रता और पहचान के समर्थन में इनकी स्वयं-साक्ष्यांकित फोटोप्रतियाँ अनिवार्यतः प्रस्तुत की जानी चाहिए, तथा ऐसा न करने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सक्षम नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया जन्मतिथि का प्रमाण अथवा एसएसएलसी/दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र जिसमें जन्म-तिथि उल्लिखित हो, फोटो पहचान प्रमाण, शैक्षिक योग्यताएँ (सभी वर्षों / सेमेस्टरों के अंक-पत्रक तथा स्नातक/ स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/अन्य प्रमाणपत्र), आवेदन में उल्लिखित अनुभव का प्रमाण तथा पात्रता के समर्थन में कोई अन्य संगत दस्तावेज।

6.8 प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6.9 प्रतिनियुक्ति पर रहनेवाला अधिकारी समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई स्टाफ (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) विनियम, 2016 तथा आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित निबंधनों और शर्तों से नियंत्रित होगा।

6.10 अन्य संस्थाओँ से आईआरडीएआई में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी चयन कर सकता है कि वह या तो प्रतिनियुक्ति पद पर लागू वेतन-मान में वेतन आहरित करे अथवा मूल संवर्ग में विद्यमान वेतन-मान के अनुसार वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ता और वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो, आहरित करे तथा वह इस प्रकार आईआरडीएआई में कार्यग्रहण करने के 30 दिन के अंदर अपने विकल्प का प्रयोग करते हुए आहरित कर सकता है। यदि प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी उपर्युक्त अवधि के अंदर उक्त विकल्प प्रस्तुत नहीं करता, तो यह माना जाएगा कि कर्मचारी ने आईआरडीएआई में प्रतिनियुक्ति पद के वेतन-मान में वेतन के लिए विकल्प दिया है तथा उसका वेतन तदनुसार निर्धारित किया जाएगा।

6.11 जब अन्य संस्थाओं से आईआरडीएआई में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी पदोन्नति/प्रोफार्मा पदोन्नति पाता है अथवा गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड में नियुक्त किया जाता है अथवा मूल संवर्ग में वेतन-मान का ग्रेड बढ़ाये जाने की स्थिति में अधिकारी के पास विकल्प होगा कि वह या तो संवर्ग-बाह्य पद (एक्स-कैडर पोस्ट) में प्रतिनियुक्ति की समाप्ति तक वर्तमान वेतन और भत्तों को प्राप्त करना जारी रखे या पदोन्नति के लाभों का दावा करने के लिए प्रत्यावर्तन की अपेक्षा करे। मूल संवर्ग में पदोन्नति के कारण एक उच्चतर संवर्ग-बाह्य पद के लिए संवर्ग-बाह्य पद और वेतन-निर्धारण का पुनर्विचार करने के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा।

6.12 जिन अधिकारियों ने एक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर आईआरडीएआई में सेवा की है, उनके संबंध में दूसरी अवधि के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

6.13 आईआरडीएआई के स्थायी अधिकारी और वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर स्थित अधिकारी आईआरडीएआई में उच्चतर संवर्ग-बाह्य पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते।

6.14 प्रतिनियुक्ति पर स्थित अधिकारी के संबंध में किसी भी विदेश में प्रतिनियुक्ति और/या भारत के अंदर किसी भी संस्था में प्रतिनियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.15 प्रतिनियुक्ति पर स्थित अधिकारी आईआरडीएआई में स्थायी आमेलन अथवा पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा।

6.16 संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी से अपेक्षित है कि वह भरे गए आवेदन फार्म में आवेदक द्वारा उल्लिखित रूप में पद के लिए आवश्यक योग्यताओं/अनुभव की पुष्टि करे तथा उसका आवेदन प्रेषित करने से पहले यह सुनिश्चित करे कि वह उपर्युक्त पद के लिए पात्रता के मानदंडों को पूरा करता है/करती है।

6.17 किसी भी कौशल धारा (स्किल स्ट्रीम) और/या ग्रेड के लिए प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार किन्हीं भी शर्तों को शिथिल करने अथवा बढ़ाने का अधिकार आईआरडीएआई के पास सुरक्षित है।

6.18 आईआरडीएआई के पास असाधारण परिस्थितियों में किसी अन्य कौशल धारा और/या ग्रेड से किसी विशिष्ट कौशल धारा और/या ग्रेड में रिक्तियाँ भरने का अधिकार सुरक्षित है, यदि उस कौशल धारा और/या ग्रेड के लिए आवेदन पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होते।

6.19 आईआरडीएआई के पास कम संख्या में पदों को भरने अथवा पदों को बिलकुल न भरने का अधिकार सुरक्षित है।

6.20 अनुयाचन (कैनवैसिंग) अथवा किसी भी रूप में कोई अनुचित प्रभाव लाना उम्मीदवार को निरर्हित (डिसक्वालिफाई) करेगा।

6.21 यदि कोई उम्मीदवार जान-बूझकर अथवा इरादतन गलत अथवा झूठा विवरण देता है अथवा कोई महत्वपूर्ण सूचना को छिपाता है, तो उसकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है। यदि उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में अर्हता प्राप्त करता है तथा तदुपरांत यह पाया जाता है कि वह पात्रता के मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती, तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी तथा यदि प्रतिनियुक्ति पर उसकी नियुक्ति की जाती है तो वह किसी सूचना अथवा क्षतिपूर्ति के बिना समाप्त की जाएगी।

6.22 चयन-सूची (शार्टलिस्ट) में दर्ज उम्मीदवारों को एक वैयक्तिक इंटरफेस/इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यदि उपयुक्त माना जाएगा तो चयन प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार आईआरडीएआई के पास सुरक्षित है।

6.23 पात्रता, साक्षात्कार (इंटरव्यू) के आयोजन, मूल्यांकन, रिक्तियों की संख्या के संबंध में इंटरव्यू में न्यूनतम अर्हकारी मानक निर्धारित करने, तथा परिणाम सूचित करने और अन्य संबद्ध विषयों में आईआरडीएआई का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारो के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी पत्राचार अथवा वैयक्तिक पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.24 इंटरव्यू के लिए बुलाये गये बाहरी उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन उनके कार्यस्थल से इंटरव्यू के स्थान तक निकटतम मार्ग से आने और जाने की यात्रा के लिए इकानमी श्रेणी के हवाई भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

6.25 चयनित अधिकारी आईआरडीएआई के किसी भी कार्यालय में नियोजित अथवा स्थानांतरित किये जा सकते हैं।

6.26 आईआरडीएआई के पास किसी भी कारण से विज्ञापन को पूर्णतः अथवा अंशतः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

6.27 इस अधिसूचना और/या उसके प्रत्युत्तर में किसी आवेदन से उत्पन्न होनेवाले दावे अथवा विवाद के किसी भी विषय के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही केवल हैदराबाद में ही प्रारंभ की जा सकती है तथा केवल हैदराबाद स्थित न्यायायों/ न्यायाधिकरणों/ फोरमों के पास ही किसी भी मुकदमे/ विवाद पर विचार करने का एकमात्र और अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

6.28 समस्त पत्राचार ई-मेल और स्पीडपोस्ट के द्वारा ही किया जाएगा। अतः सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे सही ई-मेल पता उपलब्ध कराएँ तथा आईआरडीएआई से किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से अपने ई-मेलों की जाँच करें।

6.29 **शुदधिपत्रः** कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल आईआरडीएआई की वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा।

कार्यकारी निदेशक (सामान्य)

हैदराबाद
13.09.2019